राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 355/2015

सुरेश व्यास

----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री गोकुलेश बोहरा
प्रतिवादी(ओं) के लिए: सुश्री वंदना भंसाली
श्री गौरव रांका

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

29/04/2024

1. इस याचिका में, अन्य बातों के साथ-साथ याचिकाकर्ता द्वारा किए गए 89,983.62 रुपये की शेष चिकित्सा उपचार राशि की प्रतिपूर्ति के लिए प्रतिवादियों को उचित निर्देश देने की मांग की गई है।

2. संक्षेप में, मामले के प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता 31.05.2006 को सहायक कृषि अभियंता के रूप में सेवानिवृत्त हुए।

2.1 जुलाई, 2013 के महीने में, जब याचिकाकर्ता दिल्ली में थे, उन्हें सीने में दर्द हुआ। उन्हें तुरंत फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूशन, दिल्ली ले जाया गया। उन्हें डॉक्टर ने सलाह दी

कि उन्हें तत्काल और जरूरी हार्ट सर्जरी की आवश्यकता है। एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूशन, दिल्ली के विशेषज्ञ द्वारा हार्ट सर्जरी की गई। याचिकाकर्ता 26.07.2013 से तब तक भर्ती रहा जब तक कि वह ठीक नहीं हो गया और संस्थान द्वारा उसे छुट्टी नहीं दे दी गई। याचिकाकर्ता ने अपने इलाज पर 2,47,745.62 रुपये खर्च किए।

2.2 जब उसने अपने मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति मांगी, तो याचिकाकर्ता को 10.09.2014 को मात्र 50,000/- रुपए का चेक दिया गया। याचिकाकर्ता ने 09.10.2014 को एक पंजीकृत पत्र भेजकर सरकारी नियमों के अनुसार शेष राशि 1,97,745/- रुपए की मांग की।

2.3 पेंशन नियम के अनुसार, याचिकाकर्ता को इलाज के लिए उसके द्वारा किए गए पूरे खर्च का भुगतान किया जाना चाहिए। उसने 07.10.2014 को स्पीड पोस्ट द्वारा एक और आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें गैर-याचिकाकर्ता संख्या 2 से अनुरोध किया गया कि 50,000/- रुपए के चेक की कटौती के बाद शेष राशि उसे दी जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए, यह रिट याचिका।

3. प्रतिवादियों द्वारा अपने उत्तर में बचाव में यह तर्क दिया गया है कि:
3.1 याचिकाकर्ता को हृदय रोग के उपचार अर्थात एंजियोग्राफी और सीएबीजी ऑफ पंप के लिए 50,000/- के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे का सही भुगतान किया गया था। राजस्थान राज्य पेंशनर चिकित्सा रियायत योजना, 2009 (जिसे आगे 2009 की योजना कहा जाएगा) के पैरा 4 के अनुसार, पेंशनरों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति परिपत्र संख्या पी.6(4)/वित्त/नियम/2003 भाग, जयपुर दिनांक 16.12.2009 के अनुसार देय है।

3.2 तदनुसार, याचिकाकर्ता को एंजियोग्राफी और सीएबीजी ऑफ पंप के लिए अधिकतम प्रतिपूर्ति योग्य राशि अर्थात 50,000/- रुपए का भुगतान चेक संख्या 169425 दिनांक 01.09.2014 के माध्यम से किया गया।

3.3 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों की श्रृंखला में अर्थात् पंजाब राज्य बनाम राम लुभाया बग्गा, 1998 (4) एससीसी पृष्ठ 117 और कर्नाटक राज्य बनाम आर. विवेकानंद स्वामी, 2008 (5) एससीसी 328 और राजस्थान राज्य बनाम महेश कुमार शर्मा, 2011 (4) एससीसी 257 में कहा कि केवल राज्य की अधिकतम सीमा तक की राशि का भुगतान किया जा सकता है।

अतः रिट याचिका गुण-दोष के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और केस फाइल का अवलोकन किया है।

5. जो स्थिति उभर कर सामने आई है वह यह है कि न तो याचिकाकर्ता की बीमारी विवादित है और न ही प्रासंगिक समय पर उसके द्वारा लिया गया उपचार विवादित है। केवल इसलिए कि सरकारी अस्पताल के बजाय निजी अस्पताल यानी फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूशन, दिल्ली से इलाज करवाने के लिए पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी, याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार कर दिया गया।

6. इस संबंध में, केसरा राम बनाम राजस्थान राज्य और अन्य: एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9571/2008, 23.02.2024 को तय मामले में मेरे द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है। तत्काल संदर्भ के लिए, प्रासंगिक होने के नाते नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> “8. अब इस न्यायालय में प्रस्तुत जवाब में बचाव पक्ष की दलीलों पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता द्वारा निजी अस्पताल में उपचार के लिए प्रतिपूर्ति पाने का हकदार नहीं होने के संबंध में कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया गया है। हालांकि, सीएमएचओ की ओर से दिनांक 19.02.2008 को जारी किए गए विवादित नोट/आदेश, जिसे अन्य बातों के साथ-साथ यहां चुनौती दी गई है, में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निजी उपचार के कारण उसके दावे को खारिज किया गया है।
> 9. यह उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता ने याचिका के पैराग्राफ 4 में 12.08.2007 से 16.08.2007 तक सोनी अस्पताल, जयपुर में उपचार कराने की पुष्टि की है, जिसमें एनजाइना के बने रहने के कारण प्राथमिक एंजियोप्लास्टी और एलएडी में स्टेंटिंग और उसके बाद पीटीसीए + आरसीए में स्टेंटिंग शामिल है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि चिकित्सा बिल याचिका के साथ अनुलग्नक 4 के रूप में संलग्न हैं। उत्तर के संगत पैरा में, केवल इस स्पष्ट दावे के अलावा कि याचिकाकर्ता ने बिल जमा नहीं किए, याचिका के पैरा-4 की सामग्री पर विवाद नहीं किया गया है। इस प्रकार, उत्तर में लिए गए रुख पर विचार करते हुए, याचिका एक निजी अस्पताल में प्राप्त उपचार के लिए प्रतिपूर्ति की मांग करने की सीमा तक स्वीकृति की पात्र है। ऐसा आदेश दिया जाता है।
> 10. अंत में, मैं यह जोड़ना चाहूंगा कि विशेष रूप से सुरजीत सिंह (सुप्रा)

में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संदर्भ लिया जा सकता है, और जैसा कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आत्म-संरक्षण के अधिकार के संदर्भ में सही ढंग से भरोसा किया है, जो एक मौलिक अधिकार है। याचिकाकर्ता का मामला उसमें बताए गए अनुपात द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है, कानून में यह स्थापित स्थिति है कि किसी आपात स्थिति में चिकित्सा उपचार द्वारा स्वास्थ्य और आत्म-संरक्षण का अधिकार जीवन के अधिकार के समान है, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है राज्य कर्मचारियों को किसी आपात स्थिति में जीवन के लिए खतरा होने पर अपने जीवन को बचाने के लिए कदम उठाने का अधिकार है। तदनुसार, इस मामले के तथ्यों को देखते हुए, याचिकाकर्ता को अपने आत्मरक्षा के लिए कदम उठाने का अधिकार है, जिसमें पूर्व मंजूरी की प्रतीक्षा किए बिना आपातकालीन चिकित्सा उपचार प्राप्त करना और/या संबंधित समय पर जीवन के लिए स्पष्ट खतरे को देखते हुए किसी निजी अस्पताल यानी सोनी अस्पताल, जयपुर में जाने के बजाय सरकारी अस्पताल या अधिकृत अस्पताल में अपनी बारी का इंतजार करना शामिल है। नतीजतन, मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि याचिकाकर्ता को उसके मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति का लाभ क्यों न दिया जाए।"

7. उपरोक्त निर्णय की प्रयोज्यता के अलावा, याचिकाकर्ता का मामला राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1970 (संक्षेप में, '1970 के नियम') के प्रकाश में और भी बेहतर स्थिति में है। 1970 के नियम 7 का संदर्भ लिया जा सकता है, जो इस प्रकार है:-

"7. ऐसे रोग का उपचार जिसका उपचार राज्य में उपलब्ध नहीं है। - (1) कोई सरकारी कर्मचारी और उसके परिवार के सदस्य, जो ऐसे रोग से पीड़ित हैं जिसका उपचार राज्य के किसी सरकारी अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, वे इस नियम के उपनियम (2) में निर्दिष्ट सीमा तक सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य के बाहर के किसी अस्पताल/संस्था में चिकित्सा परिचर्या और उपचार के हकदार होंगे, बशर्ते कि किसी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक द्वारा प्राधिकृत चिकित्सा परिचर्या की राय के आधार पर यह प्रमाणित किया गया हो कि रोगी जिस विशेष रोग से पीड़ित है उसका उपचार राज्य के किसी सरकारी अस्पताल में उपलब्ध नहीं है और रोगी के स्वस्थ होने के लिए

राज्य के बाहर के किसी अस्पताल में उपचार कराना अत्यंत आवश्यक माना जाता है।

(2) निम्नलिखित शुल्क/व्यय प्रतिपूर्ति योग्य होंगे:-
(क) इन नियमों के अंतर्गत प्रतिपूर्ति योग्य एलोपैथिक औषधियों, दवाओं, टीकों, सीरम या अन्य चिकित्सीय पदार्थों की लागत (बिक्री कर सहित)।
(ख) शल्यक्रिया और साधारण नर्सिंग सुविधा के लिए शुल्क सहित चिकित्सा परिचर्या और उपचार के लिए अस्पताल/संस्था को वास्तव में भुगतान की गई राशि।
(ग) जिस स्टेशन पर रोगी बीमार पड़ता है, वहां से ड्यूटी प्वाइंट से राज्य के बाहर उपचार के स्थान तक रेल/सड़क द्वारा यात्रा के लिए यात्रा भत्ता और वापसी के लिए राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के तहत जिस श्रेणी का उसका वर्गीकरण उसे हकदार बनाता है, उसका एकल किराया। ऐसा यात्रा भत्ता परिचारक के लिए भी स्वीकार्य होगा, यदि प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक लिखित रूप में प्रमाणित करता है कि रोगी के लिए अकेले यात्रा करना असुरक्षित है और उपचार के स्थान तक और वापस रोगी के साथ परिचारक का होना आवश्यक है।
(3) उपनियम (1) में उल्लिखित प्रकार के मामलों में चिकित्सा परिचर्या और उपचार की सुविधा परिशिष्ट 11 में उल्लिखित किसी भी अस्पताल/ संस्था में प्राप्त की जा सकेगी।
(4) प्रतिपूर्ति के प्रयोजन के लिए, ऐसे अस्पताल/संस्थाओं द्वारा जारी मूल रसीदें और दवाओं आदि के वाउचर उस सरकारी अस्पताल के प्राधिकृत चिकित्सा परिचर्या द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जाएंगे, जिसकी सलाह पर राज्य के बाहर उपचार कराया गया था।

8. उपर्युक्त नियम के अवलोकन से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि याचिकाकर्ता किसी भी मामले में राजस्थान राज्य के बाहर उपचार लेने का हकदार है। रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि प्रासंगिक तथ्यों के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि यह एक आपातकालीन स्थिति थी जिसके तहत याचिकाकर्ता को दिल्ली के एक अस्पताल में ले जाया गया था।

9. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, मुझे याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार करने का कोई वैध कारण या औचित्य नहीं दिखता। तदनुसार, याचिका को अनुमति दी जाती है।

इस प्रकार प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिका के अनुलग्नक-2 और अनुलग्नक-4 से 12 में निहित चिकित्सा बिलों को सत्यापित करें और इस आदेश के वेब-प्रिंट की प्राप्ति की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर लागू सेवा नियमों के अनुसार प्रतिपूर्ति की आगे की आवश्यक कवायद करें। देय भुगतान को लागू ब्याज के साथ वापस किया जाए, जैसा कि सेवा नियमों के तहत स्वीकार्य है, जिस तारीख से यह याचिकाकर्ता को देय हो।

10. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा**),** न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।